



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082023-248135
CG-DL-E-16082023-248135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3507]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2023/श्रावण 25, 1945

No. 3507]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2023/SHRAVANA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023

का.आ. 3666(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 'नगर सुधार न्यास उदयपुर' (पैन AAALU0072E), राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठित एक न्यास, उस न्यास को उद्भूत निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों के निपटान से प्राप्त धन;
- भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों के किराए/पट्टे से प्राप्त धन;
- राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्राप्त शुल्को, ब्याज अथवा किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से प्राप्त धन;
- उपर्युक्त (क) से (घ) पर अर्जित ब्याज; और
- राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि नगर सुधार न्यास उदयपुर, -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार, आय की विवरणी फाइल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लिए लागू मानी जाएगी जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के लिए प्रासंगिक है।

[अधिसूचना सं. 62/2023/फा. सं. 300196/2/2023-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक, आईटीए-1

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस अधिसूचना को नगर सुधार न्यास उदयपुर बनाम भारत संघ और अन्य [डीबी 2016 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1004], दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2012-2013 से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए पूर्वव्यापी प्रभावी होगी जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए संगत है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2023

S.O. 3666(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Urban Improvement Trust Udaipur', (PAN AAALU0072E), a Trust constituted by the State Government of Rajasthan, in respect of the following specified income arising to that Trust, namely:-

- (a) Grants received from the State Government;
 - (b) Moneys received from the disposal of land, building and other properties;
 - (c) Moneys received by way of rent/lease of land, building and other properties;
 - (d) Moneys received by way of fees, interest or any other charges received under the Rajasthan Urban Improvement Trust Act, 1959;
 - (e) Interest earned on (a) to (d) above; and
 - (f) Interest on Loans received from the State Government.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Urban Improvement Trust Udaipur,-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 relevant to the financial years 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017 respectively.

[Notification No. 62/2023/F.No. 300196/2/2023-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, ITA-I

Explanatory Memorandum

This notification shall be given retrospective effect for the assessment years 2013-2014 to 2017-18 relevant to the financial years 2012-2013 to 2016-2017, respectively, in view of the Order of the Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur in matter of Urban Improvement Trust, Udaipur V. Union of India and Anr. in [D.B. Writ Petition (Civil) No.1004 of 2016], dated 21st of April, 2023. It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.